न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 131/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

पंजाब नेशनल बैंक, शाखाः– श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स लोक ऐग्रो जरिये प्रोपराईटर चेतन लोकनाथका** जी–269, रीको, पलसाना, जिला–सीकर (राज.) 332402
2. **चेतन लोकनाथका पुत्र माली राम,** वार्ड नं. 12, तेमानियों का मोहल्ला, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.) 332715
3. **सीमा शर्मा पुत्री महेश चंद** वार्ड नं. 12, तेमानियों का मोहल्ला, गौशाला मार्केट, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.) 332715

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 28 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार ओरिया** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स लोक ऐग्रो जरिये प्रोपराईटर चेतन लोकनाथका, चेतन लोकनाथका पुत्र माली राम** एवं **सीमा शर्मा पुत्री महेश चंद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **चेतन लोकनाथका पुत्र माली राम** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **औद्योगिक प्लॉट नं. जी–269, रीको पलसाना, जिला सीकर राजस्थान 332402** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. एफ–280, पूरब दिशा में प्लॉट नं. जी–269(ए) एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. जी–268 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹85,00,000/–(अक्षरे रूपये**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पचासी लाख), ₹35,00,000/–(अक्षरे रूपये पैंतीस लाख) एवं **₹29,00,000/–(अक्षरे रूपये उनतीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **19.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर वकील श्री पीयूष खण्डेलवाल उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स लोक ऐग्रो जरिये प्रोपराईटर चेतन लोकनाथका, चेतन लोकनाथका पुत्र माली राम** एवं **सीमा शर्मा पुत्री महेश चंद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **चेतन लोकनाथका पुत्र माली राम** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **औद्योगिक प्लॉट नं. जी–269, रीको पलसाना, जिला सीकर राजस्थान 332402** में

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में प्लॉट नं. एफ–280, पूरब दिशा में प्लॉट नं. जी–269(ए) एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. जी–268 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **28 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर